

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1833

दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिमी बंगाल में मादक पदार्थों की तस्करी

1833 श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पश्चिमी बंगाल में, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी वाले क्षेत्रों में, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में जब्त किए गए मादक पदार्थों के प्रकार और मात्रा का ब्यौरा क्या है और इनकी आपूर्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) जैसा कि राज्य में हाल ही में हुई जल्लियों से स्पष्ट होता है कि खांसी में प्रयुक्त किए जाने वाले कोडीन युक्त सिरप जैसी औषधीय दवाओं का अक्सर अवैध उपयोग किया जाता है, इसलिए उक्त दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों की जब्ती अनुलग्नक-1 में दी गई है। सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

- (i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकोर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकोर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

दिनांक 11.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1833

- (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकाॅर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकाॅर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (पश्चिम बंगाल सहित) में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एनएनटीएफ) गठित की गई है।
- (iii) मादक पदार्थ लाने-ले जाने के मार्गों पर गहन निवारक और अवरोधन प्रयास किए जाते हैं।
- (iv) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।
- (v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।
- (vi) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- (vii) मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी में मदद करने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली और नोड्स को निरंतर कैचर करने और डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।
- (viii) कोलकाता में मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय और एक जोनल कार्यालय के अतिरिक्त, सरकार ने आवश्यक संख्या बल के साथ सिलीगुड़ी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक नए जोनल कार्यालय को मंजूरी दी और उसे कार्यात्मक बनाया है, जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में, मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों को देखेगा।

दिनांक 11.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1833

- (ix) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(ग) सरकार ने विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 02.06.2023 की अधिसूचना एस.ओ. 2398(ई), एस.ओ. 2404(ई) जारी की है, जिसमें कोडीन फॉस्फेट युक्त निर्धारित मात्रा संयोजन के सिरप के औषधि के रूप में मानव उपयोग के लिए निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, औषधीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कानूनी प्रावधान है कि उक्त नियमों की अनुसूची एच/एच1/एक्स में यथा निर्धारित औषधियों को पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के अन्यथा, खुदरा में नहीं बेचा जाएगा।

वर्ष 2018-2019 के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की जब्ती

क्र.सं.	मादक पदार्थ का प्रकार	2018			2019		
		किलोग्राम	संख्या	लीटर	किलोग्राम	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	3814.020	-	-	1338.751	-	-
1.1	अफीम	474.370	-	-	149.555	-	-
1.2	मॉर्फिन (किलोग्राम में)	0.000	-	-	0.000	-	-
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	33.760	-	-	39.319	-	-
1.3क	हेरोइन	33.760	-	-	39.319	-	-
1.3ख	स्मैक	0.000	-	-	0.000	-	-
1.4	पोस्ता भूसी	3305.890	-	-	1149.877	-	-
2	कैनबिस आधारित मादक पदार्थ	27012.853	-	-	34468.465	-	-
2.1	गांजा (किलोग्राम में)	26842.990	-	-	34447.445	-	-
2.1क	गांजा	26842.990	-	-	34447.445	-	-
2.1ख	भांग	0.000	-	-	0.000	-	-
2.1ग	सल्फा	0.000	-	-	0.000	-	-
2.2	हशीश	0.000	-	-	6.682	-	-
2.3	चरस	169.863	-	-	14.338	-	-
3	कोकीन (किलोग्राम में)	1.140	-	-	22.000	-	-
4	मनः प्रभावी पदार्थ	0.000	-	-	105.918	-	-
4.1	मेथाक्वैलोन (किलोग्राम में)	0.000	-	-	0.000	-	-
4.2	एफेड्रिन/ स्यूडो एफेड्रिन	0.000	-	-	0.000	-	-
4.3	एल.एस.डी. (किलोग्राम में)	0.000	-	-	0.240	-	-
4.4	एमफेटामाइन/मेथैम्फेटामाइन	0.000	-	-	105.678	-	-
4.5	केटामिन	0.000	-	-	0.000	-	-
4.6	एटीएस	0.000	-	-	0.000	-	-
5	मेडिसनल प्रिपरेशंस	196.200	15166	13262.071	152.648	400084	20958.935
5.1	फेंसिटिल/कफ सिरप	0.000	0	12957.351	0.000	0	20721.935
5.2	इंजेक्शन की शीशियाँ	0.000	1830	0.000	0.000	2135	0.000
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	0.000	3983	0.000	0.000	59949	0.000
5.4	अन्य मेडिसनल प्रिपरेशंस	196.200	9353	304.720	152.648	338000	237.000
6	मादक पदार्थ उत्प्रेरक - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.170	0	0.000	0.000	0	0.000
7	अन्य मादक पदार्थ	55.522	75	2430.533	747.078	663	357.400
8	कुल	31079.905	15241	15692.604	36834.860	400747	21316.335

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

वर्ष 2020-2022 के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की जब्ती

क्र.सं.	मादक पदार्थ का प्रकार	2020			2021			2022		
		किलोग्राम	संख्या	लीटर	किलोग्राम	संख्या	लीटर	किलोग्राम	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	253.208	-	-	1466.476	-	-	5446.692	-	-
1.1	अफीम	158.064	-	-	788.653	-	-	52.195	-	-
1.2	मॉर्फिन (किलोग्राम में)	0.040	-	-	0.000	-	-	53.216	-	-
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	95.104	-	-	94.423	-	-	57.911	-	-
1.3क	हेरोइन	95.104	-	-	94.423	-	-	57.911	-	-
1.3ख	स्मैक	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
1.4	पोस्ता भूसी	0.000	-	-	583.400	-	-	5283.370	-	-
2	कैनबिस आधारित मादक पदार्थ	23852.025	-	-	27851.650	-	-	18313.855	-	-
2.1	गांजा (किलोग्राम में)	23818.102	-	-	27829.084	-	-	18301.891	-	-
2.1क	गांजा	23802.202	-	-	27829.084	-	-	18301.891	-	-
2.1ख	भांग	15.900	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
2.1ग	सल्फा	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
2.2	हशीश	0.000	-	-	0.180	-	-	0.000	-	-
2.3	चरस	33.923	-	-	22.386	-	-	11.964	-	-
3	कोकीन (किलोग्राम में)	0.000	-	-	4.626	-	-	0.015	-	-
4	मनः प्रभावी पदार्थ	0.980	-	-	2.090	-	-	18.658	-	-
4.1	मेथाकालोन (किलोग्राम में)	0.000	-	-	2.090	-	-	0.000	-	-
4.2	एफेड्रिन/स्यूडो एफेड्रिन	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
4.3	एल.एस.डी. (किलोग्राम में)	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
4.4	एमफेटामाइन/मेथैम्फेटामाइन	0.980	-	-	0.000	-	-	18.658	-	-
4.5	केटामिन	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
4.6	एटीएस	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-	-
5	मेडिसनल प्रिपरेशंस	839.356	363396	38099.332	1.935	391840	77471.912	0.181	579597	63873.980
5.1	फेसिटिल/कफ सिरप	0.000	0	37679.282	0.000	0	77271.131	0.000	0	63295.280
5.2	इंजेक्शन की शीशियाँ	0.000	183	0.000	0.000	1928	0.000	0.000	3045	0.000
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	0.000	353422	0.000	0.000	389912	0.000	0.000	556502	0.000
5.4	अन्य मेडिसनल प्रिपरेशंस	839.356	9791	420.050	1.935	0	200.781	0.181	20050	578.700
6	मादक पदार्थ उत्प्रेरक - एसिटिक एनहाइड्राइड	17.500	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	अन्य मादक पदार्थ	546.733	0	2527.800	87.235	9938	1801.200	118.366	52027	3308.880
8	कुल	25509.802	363396	40627.132	29414.012	401778	79273.112	23897.767	631624	67182.860

स्रोत: क्राइम इन इंडिया
